न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 75/2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112/190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा -- प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 7.10.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने पत्र कमांक 2349 दिनाक 06.05.2025 से प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

खसरा नं. 1950 व 1957 वाके ग्राम चांदसेन तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज.) के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा वाद संख्या 326/2013 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 296/2013 माफी मन्दिर श्री कल्याण जी महाराज व स्नेहलता अन्य के विवाद के सम्बंध में की गई कार्यवाही (यदि हा)की दिनांक 21.10.2013 से 31.12.2014 तक की प्रमाणित छाया प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 1630 दिनांक 20.08.2025, 1755 दिनांक 4.09.2025 व 1850 दिनांक 23.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से उनके प्रतिनिधि दिनांक 4.09.2025 को उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
राजस्थान

725